भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0– 206A/2017–18

विजय महतो **बनाम** आनन्द महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15-06-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 819 दिनांक 30.05.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 206A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता विजय महतो पिता स्व0 शम्भू महतो, ग्राम–रांगामाटिया, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता शैलेन्द्र महतो पिता श्री आनंद महतो, ग्राम–नेंगटासाई, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
रांगामाटिया	189	87	143	0.03ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता स्वंय एवं अन्य अंशिदारों के नाम पर सर्वे खतियान एवं पंजी–II में जमाबंदी कायम है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 2.03 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.03 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.00 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.03एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner